22/10/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य। (ग्राम कार्य) में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 24.10.2020 को पेश हो।

28/10/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य। (पंचायत चुनाव) में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 16.12.2020 को पेश हो।

16/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष. उप. है। विपक्षी संख्या (9) से (16), (23), (25) से (40) तक की तामीलें पर्याप्त है। न्यायालय समक्ष में बार बार आवाजे लगवाई गई परन्तु स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या (41) व (42) की तामीलें पर्याप्त है। नोटिस वि.स. (3), (17) से (22), (24) के तामील हेतु रजिस्टर्ड AD से तामील हेतु अधिवक्ता खर्चे आदि भरे व अधिवक्ता प्रार्थी पेश करे। पेश होने पर जारी हो। अधिवक्ता पक्ष. की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24-12-2020 को पेश हो।

24/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष. उपस्थित है। विपक्षी संख्या (3) के नोटिस का अवलोकन किया गया, जिसमे पर्याप्त तामील होना पाई गई। न्यायालय समक्ष मे बार बार आवाजे लगवाई गई परन्तु स्वयं या इनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुए जिससे विपक्षी संख्या (3) के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर ... कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

संख्या 57 सन् 2020 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

सुमीबाई वगैरह बनाम पुष्पाबाई वगैरह

	आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
	अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि ग्राम मेताडिया तहसील गढ़बोर की जमाबंदी सम्वत् 2068-71 के खाता संख्या 36 किता-5 किता-2 रकबा 01-01-00, खाता संख्या 37 किता-1 रकबा 0-08-00, रकबा 03-04-00, खाता संख्या 38 किता-1 रकबा 0-08-00, खाता संख्या-39 किता-29 रकबा 19-10-09, खाता संख्या 40 किता-3 रकबा 1-11-00, खाता संख्या 41 किता-1 रकबा 00-01-00, खाता संख्या 42 किता-1 रकबा 00-03-00, खाता संख्या-46 किता-1 रकबा 0-11-10, खाता संख्या 152 किता-1 रकबा 0-08-00 खाता संख्या 7-8 किता-17 रकबा 14-18-00 बीघा भूमियां प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या (1) से (6) तक को विरासत से पन्ना पिता धूला कुम्हार से प्राप्त हुई है जो अन्य खातेदारों के साथ सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता पन्ना की विरासत के समय प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या (1) लगायत प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि विपक्षी संख्या (7)(8) को विक्रय कर दस्तावेज पंजीयन करवा दिया है जबकि प्रार्थीगण के पिता पन्ना के हिस्से की भूमियों पर प्रार्थीगण का पूर्ण हक अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध घोषणा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन की आज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जिसके निस्तारण में समय लगेगा तब तक प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियों का विक्रय हस्तान्तरण नहीं हो इस बाबत् प्रार्थीगण के पिता पन्ना के हिस्से की भूमिया जो	सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

Scanned with CamScanner

विपक्षी संख्या (1) से (6) के ~~वि.सं. (7) व (8)~~
के नाम पर दर्ज है व विपक्षी संख्या
(1) द्वारा वि.सं. (7) (8) को विक्रय की
है पर प्रार्थिया के पक्ष में व विरुद्ध
विपक्षी संख्या (1) से (8) तक के अस्थाई
निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक
जारी की जाने पर राजस्व रेकार्ड व
मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे।
व विपक्षी संख्या (41) उक्त भूमि में
का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे। प्रार्थिया
के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं
करे। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा
अपनी बहस में बताया कि विपक्षी संख्या
(1) द्वारा अपने हिस्से की भूमि विक्रय
की व क्रेता वि.सं. (7) (8) द्वारा राजस्व
रेकार्ड में दर्ज हुआ खातेदार से
विधिवत रूप का दस्तावेज पंजीयन करा
ली गई है। जिससे किसी प्रकार की
अस्थाई निषेधाज्ञा वि.सं. (1) से (8) तक
के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती
है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
पत्रावली का अवलोकन किया गया व
बहस पर मनन किया गया। उक्त
भूमि मौरूसी भूमि है जिस खं.सं.
में वाद विचाराधीन है। हक अधिकार
वाद के निर्णय से निर्धारित होंगे।
जब तक वाद की बहुलता न बढ़े इस
हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की
जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त वादग्रस्त भूमि पर
पन्ना पिता धन्ना कुम्हार के हिस्से से
प्राप्त भूमि पर विपक्षी संख्या (1) से (8)
तक के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण
तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी की जाती है कि राजस्व रेकार्ड की
यथास्थिति बनाये रखे। वि.सं. (41) किसी
प्रकार का दस्तावेज इत्यादि पंजीयन नहीं
करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नियम से पेश हो। निर्णय खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द